छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

सी० आर० ए० नंबर 1756/2019

कन्हैया सतनामी, उम्र लगभग 45 वर्ष
पिता मंगलू सतनामी
निवासी– दमकाडीह (नगरी)
थाना–सिहावा
जिला–धमतरी(छ.ग.)

---- अपीलकर्ता

विरूध्द

छ०ग० राज्य
द्वारा थाना प्रभारी,
थाना–सिहावा,
जिला–धमतरी(छ.ग.)

----- उत्तरवादी

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अपीलकर्ता द्वारा श्री ए०एन० पांडेय अधिवक्ता।
राज्य द्वारा श्री अनुराग वर्मा पैनल अधिवक्ता।

डी.बी. – माननीय श्री न्यायमूर्ति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव
माननीय श्रीमती न्यायमूर्ति विमला सिंह कपूर

बोर्ड पर निर्णय

08/07/2021

प्रति मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव, जे.

यह अपील अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, धमतरी, सत्र खंड, जिला धमतरी (छ०ग०) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक –24/06 में दिनांक 05.05.2007 को पारित दोषसिद्धि के आक्षेपित निर्णय और सजा के आदेश के

विरूद्ध निर्देशित है, जिसके तहत अपीलकर्ता को अपराध करने का दोषी ठहराया गया है और नीचे वर्णित अनुसार सजा सुनाई गई है–

	दोषसिद्धि	सजा
1.	धारा 302 भारतीय दंड संहिता के तहत	आजीवन कारावास एवं 500/–रू० का जुर्माना
2.	धारा 201 भारतीय दंड संहिता के तहत	03 वर्ष का कारावास एवं 200/–रू० का जुर्माना (कुल जुर्माना राशि 700/–रू० न चुकाने पर 02 माह का अतिरिक्त कारावास)
दोनों सजाएं साथ–साथ चलेंगी		

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

02. राजेश अपीलार्थी एवं मृतका सीमा उर्फ सुकारो बाई के पुत्र (पीडब्ल्यू–1) ने दिनांक 22.01.2006 को थाने में सूचना दी थी, जिसे पंचूराम काशी (पीडब्ल्यू–17) द्वारा रोजनामचा सान्हा क्रमांक–894 में दर्ज किया गया । सूचना में बताया गया कि सूचनाकर्ता की मां सीमा उर्फ सुकारो बाई दिनांक 01.01.2006 से लापता है, जो उसके पिता के साथ दूसरे गांव गई थी तथा तमाम प्रयासों के बावजूद उसका आसपास पता नहीं चल पाया है । सूचना में यह भी बताया गया कि बार–बार पूछताछ के बावजूद उसके पिता स्पष्ट एवं संतोषप्रद उत्तर नहीं दे रहे थे तथा टालमटोल कर रहे थे । उक्त सूचना प्राप्त होने के बाद पुलिस ने उसकी मां के बारे में पूछताछ शुरू की । अपीलकर्ता को संदिग्ध मानते हुए हिरासत में लिया गया तथा एक्स.पी/5 में उसका ज्ञापन दर्ज किया गया, जिसमें प्राप्त सूचना के अनुसार अपीलकर्ता ने खुलासा किया कि उसे अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह

था तथा दिनांक 02.01.2006 को प्रातः 10.00 बजे उसने अपनी पत्नी को गौतम (पी.डब्ल्यू–5) के साथ जकड़ा हुआ शारीरिक संबंध बनाते हुए देखा तो उसने अपनी पत्नी को पकड़ लिया तथा गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी तथा उसके पश्चात् शव को अपने घर के बावड़ी में दफना दिया । उसका ज्ञापन दर्ज करने के पश्चात् उच्च अधिकारियों को सूचित किया गया तथा शव की बरामदगी की कार्यवाही करने के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पी.डब्ल्यू–12) को नियुक्त किया गया । अभियोजन पक्ष का आगे का मामला यह है कि गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्त्ता द्वारा अपनी पत्नी के शव को दफनाने के बारे में बताए गए स्थान की खुदाई की गई तथा शव को बाहर निकाला गया । बाद में शव की पहचान सीमा उर्फ सुकारो बाई के रूप में की गई । शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और डॉ० जी० आर० अग्रवाल (पी.डब्ल्यू–16) ने पोस्टमार्टम किया और उनके अनुसार, मौत का कारण गला घोंटने के कारण दम घुटना बताया गया है, जो कि हत्या की प्रकृति का है । मृत्यु की अवधि लगभग 15 दिन बताई गई है । घटनास्थल की पहचान और एफआईआर दर्ज करने के बाद, पुलिस स्टेशन में क्रमांकित मर्ग सूचना के बाद, जांच आगे बढ़ाई गई । पुलिस ने शव को दफनाने के स्थान से मिट्टी और एक फावड़ा और एक कुल्हाड़ी भी जब्त की, जिसका उपयोग अभियोजन पक्ष के अनुसा, अभियुक्त द्वारा खोदने और शव को दफनाने के लिए किया गया था । बाद में शव की पहचान सीमा उर्फ सुकारो बाई के रूप में किया गया । शव को पोस्टमार्टम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हेतु भेजा गया और डॉ० जी० आर० अग्रवाल (पी.डब्ल्यू–16) के द्वारा पोस्टमार्टम किया गया और उनके द्वारा यह बताया गया कि गला दबाने के कारण दम घुटने से मृत्यु हुई है जो हत्या की श्रेणी में है जो मृत्यु कारित हुई है, वह करीबन 15 दिन के भीतर की है । विवेचना के दौरान दर्ज की गई स्थान की पहचान और प्रथम सूचना पत्र दर्ज करने के पश्चात् मर्ग इंटीमेशन की कार्यवाही की गई और विवेचना कार्यवाही अग्रसर हुई । पुलिस के द्वारा जहां पर शव को दफनाया गया था, उस स्थान से मिट्टी, एक फावड़ा और कुल्हाड़ी को जब्त किया गया जो अभियोजन की कहानी के अनुसार अभियुक्त के द्वारा खोदने और शव को दफनाने के उपयोग में लाया गया था। अपीलकर्त्ता से ही फावड़ा और कुल्हाड़ी की जप्ती की गई है । मिट्टी के नमूने और फावड़े और कुल्हाड़ी में पाए गए मिट्टी के दागों की एफएसएल में जांच की गई और यह बताया गया कि दफनाने के स्थान से एकत्र की गई मिट्टी और कुल्हाड़ी और फावड़े में पाई गए मिट्टी एक ही थी । नियमित जांच के बाद अंततः आरोप पत्र दाखिल किया गया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

03. आरोप पत्र में निहित सामग्री के आधार पर विद्वान ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता के खिलाफ आरोप तय किए कि अपीलकर्त्ता ने अपनी पत्नी की हत्या की है । अपीलकर्ता ने आरोप अस्वीकार किया और उसके ट्रायल के लिए रखा गया।

04. अभियोजन पक्ष ने अपने मामले को साबित करने के लिए कुल 18 गवाहों का परीक्षण कराया । उसके बाद अभियोजन पक्ष द्वारा पेश किए गए साक्ष्य में उसके खिलाफ दिखाई देने वाली आपत्तिजनक सामग्री और परिस्थितियों के संबंध में धारा 313 सी०आर०पी०सी० के तहत अपीलकर्ता का परीक्षण किया गया । अपीलकर्ता ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उसे झूठा फंसाया गया है। बचाव पक्ष की ओर से गवाहों का परीक्षण नहीं कराया गया ।

05. विद्वान विचारण न्यायालय ने आपत्तिजनक परिस्थितिजन्य साक्ष्य, अपीलकर्ता के कहने पर शव की बरामदगी, आशय, न्यायेतर स्वीकारोक्ति और मिट्टी की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए अपीलकर्ता को अपराध करने का दोषी माना और उपरोक्त वर्णित अनुसार सजा सुनाई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

06. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने दोषसिद्धि और सजा के आदेश के सत्यता और वैधता पर सवाल उठाते हुए तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के द्वारा जिस परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर भरोसा किया गया है, वह संदिग्ध है । अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन पर शव की बरामदगी का साक्ष्य अपराध सिद्ध नहीं करता, क्योंकि शव घर के अदंर नहीं, बल्कि उस बावड़ी/आंगन से बरामद हुआ था, जो अपीलकर्ता के निवास स्थान के बाहर खुले स्थान पर था । इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या की । जहां तक उद्देश्य का सवाल है, इस संबंध में विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि अभियोजन

पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करता है, यह क्योंकि प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य के अभाव में अपीलकर्ता को कथित अपराध में शामिल करने के लिए पर्याप्त नहीं है । इसके बाद यह दलील दी गई कि न्यायिक स्वीकारोक्ति का साक्ष्य स्वैच्छिक नहीं लगता और अन्यथा कमजोर साक्ष्य है । अंत में, यह प्रस्तुत किया गया है कि भले ही यह स्वीकार कर लिया जाए कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या की है, लेकिन उसके बयान में जो कहा गया है, वह एक प्रशंसनीय कहानी है, जैसा कि अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों ने अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह करने और उनके बीच कई झगड़ों के बारे में कहा है । इसलिए, किसी भी मामले में, यह अचानक और गंभीर उकसावे का मामला है और इस तरह, अपीलकर्ता की सजा केवल धारा 304 भा०दं०सं० के तहत ही होगी, यह गैर इरादतन हत्या है, हत्या नहीं । अपीलकर्ता अब तक 14 साल से अधिक जेल की सजा काट चुका है । फलतः उसकी सजा को धारा 304–I या 304–II भा०दं०सं० में बदला जा सकता है और उसे पहले से ही काटी गई अवधि के लिए सजा दी जा सकती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

07. वहीं दूसरी ओर, विद्वान राज्य अधिवक्ता यह तर्क देंगे कि अपीलकर्ता का ज्ञापन, अपीलकर्ता के कहने पर उसकी अपनी बावड़ी/आंगन से शव की बरामदगी, शव की पहचान और मृत्यु का कारण राजेश (पी०डब्ल्यू–1) के विश्वसनीय और पर्याप्त साक्ष्य से साबित होता है, जो स्पष्ट रूप से साबित करता है

कि अपललकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या की थी । जहां तक धारा 304 भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्धि को बदलने का तर्क का संबंध है, विद्वान राज्य अधिवक्ता यह प्रस्तुत करेंगे कि अपीलकर्ता द्वारा अपने ज्ञापन में जो कहा गया है और अन्य अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य केवल यह दर्शाते हैं कि उसके चरित्र पर कुछ संदेह था और जहां तक कि अगर अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी को समझौता करने की स्थिति में देखा था, तो वह अपनी पत्नी को मारने के बजाय अन्य उपचारात्मक उपाय कर सकता था । अपीलकर्ता द्वारा अपनी पत्नी का गला घोंटना स्पष्ट रूप से मौत का कारण बनने के इरादे को दर्शाता है और चूंकि यह घटना अचानक और गंभीर उकसावे में नहीं हुई है, इसलिए दोषसिद्धि पर किसी भी हस्तक्षेप का औचित्य नहीं है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

08. दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्तओं को सुना गया तथा अभिलेखों का परिशीलन किया गया ।

09. मृतका के पुत्र राजेश (पी०डब्ल्यू–1) तथा अपीलकर्ता ने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि उसके पिता तथा माता के कार्यस्थल से घर चले जाने के पश्चात् उसकी माता का पता नहीं चल पाया और उसने अपने पिता से बार–बार पूछा, परंतु वे कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे रहे थे तथा टाल–मटोल कर रहे थे, इसलिए उसने अपनी माता के लापता होने की सूचना पुलिस को दी । यह बात पंचूराम काशी (पी०डब्ल्यू–17) के साक्ष्य से सिद्ध होती

है, जिसने राजेश द्वारा दी गई सूचना को राजनामचा सान्हा (एक्स.पी/15) में दर्ज किया । पुलिस अधिकारी राजेश (पी०डब्ल्यू–1) तथा पंचूराम कांशी (पी०डब्ल्यू–17) दोनों ने रिपोर्ट दर्ज करने के संबंध में बताया कि सीमा लापता है तथा इस आशय की सूचना पुलिस थाने में दी गई । जहां तक अपीलकर्ता के ज्ञापन का प्रश्न है, अभिलेख पर पर्याप्त साक्ष्य हैं, जो अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से सिद्ध होता है । जांच अधिकारी (पी०डब्ल्यू–18) ने स्पष्ट रूप से यह बयान दिया है कि उसने अपीलकर्ता का ज्ञापन दर्ज किया हैख् जिसमें अपीलकर्ता ने शव को आंगन/बाड़ी में दफनाने की घटना का खुलासा किया है । जांच अधिकारी द्वारा ज्ञापन दर्ज करने की पुष्टि ज्ञापन गवाह रोहित कुमार (पी०डब्ल्यू–7) और घासियाराम (पी०डब्ल्यू–15) के साक्ष्य से पूरी तरह से हुई है और दोनों ने अपने बयान में घटना के बारे में और शव को दफनाने के स्थान के बारे में स्पष्ट रूप से बताया है, इन गवाहों के प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी हासिल नहीं पाया जा सका, जिससे जांच अधिकारी (पी०डब्ल्यू–18) के प्रकटीकरण कथन के गवाह होने से उनके बयान की सत्यता पर संदेह उत्पन्न करते हो । अपीलकर्ता द्वारा बताए गए स्थान से शव की बरामदगी अभियोजन पक्ष के गवाहों के विश्वसनीय साक्ष्य से भी साबित हुई है । इस संबंध में, स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में शव को खोदकर निकालने के संबंध में कार्यपालक मजिस्ट्रेट (पी०डब्ल्यू–12) का साक्ष्य स्थिर रहा है तथा कार्यपालक मजिस्ट्रेट–जे.आर. बरिहा (पी०डब्ल्यू–12) और रोहित कुमार (पी०डब्ल्यू–7), श्याम कुमार

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(पी०डब्ल्यू–8), परसराम (पी०डब्ल्यू–9) और घासियाराम (पी०डब्ल्यू–15) की उपस्थिति में शव की बरामदगी के गवाह की राय के अलावा अपीलकर्ता के पुत्र राजेश (पी०डब्ल्यू–1) के साक्ष्य के अलावा इन सभी गवाहों ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जब खुदाई की गई थी, तो शव को खोदकर निकाला गया था । उसके पुत्र द्वारा शव की पहचान करना विवाद से परे है, जैसा कि उसके द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है । इस प्रकार, स्वतंत्र गवाहों और अपीलकर्ता और मृतक के पुत्र की उपस्थिति में कार्यपालक मजिस्ट्रेट जे.आर. बरिहा (पी०डब्ल्यू–12) द्वारा शव की बरामदगी और पहचान की कार्यवाही संदेह से परे साबित होती है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. अपीलकर्ता के द्वारा गवाहों को दिये गये न्यायिक स्वीकारोक्ति में प्रचूर साक्ष्य मौजूद हैं और अपने रिश्तेदारों तथा अपने पुत्रों राजेश (पी०डब्ल्यू–1) एवं रवि (पी०डब्ल्यू–2) के समक्ष दिये गये, जिसमें बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि जब उन्होंने अपनी मां के बारे में पूछा तो अपीलकर्ता ने उन्हें बताया कि उसने सीमा की हत्या कर दी है और शव को घर के आंगन/बाड़ी में दफना दिया है ।

इसी प्रकार का कथन अनुसुईया बाई (पी०डब्ल्यू–3) एवं मंगलूराम (पी०डब्ल्यू–6) ने भी दिया है, जो क्रमशः भाभी एवं देवर हैं । प्रकरण में कोई स्पष्टीकरण व कारण दर्शित नहीं है कि अपीलकर्ता के अपने पुत्र एवं देवर एवं भाभी उसे झूठ फंसाएं । इन गवाहों के साक्ष्य विश्वसनीय हैं । यहां तक कि घासियाराम (पी०डब्ल्यू–15) ने भी अपीलकर्ता द्वारा उसके समक्ष उसके पुत्र के

समक्ष न्यायेतर स्वीकारोक्ति दिए जाने के संबंध में कहा है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या कर शव को आंगन में दफना दिया है ।

11. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि जिस स्थान से शव बरामद किया गया, वह खुला स्थान है । राजेश (पी०डब्ल्यू–1) एवं मंगलूराम (पी०डब्ल्यू–6) ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जिस स्थान से शव निकाला गया, वह एक बंद परिसर है तथा अपीलकर्ता के घर से लगा हुआ है, तथा उस क्षेत्र में कोई अन्य घर नहीं है, इसीलिये यह तर्क स्वीकार्य नहीं हैं। शव की बरामदगी के गवाह रोहित कुमार (पी०डब्ल्यू–7), श्याम कुमार (पी०डब्ल्यू–8), परसराम (पी०डब्ल्यू–9) और घासियाराम (पी०डब्ल्यू–15) के साक्ष्य से इस बात पर कोई संदेह नहीं रह जाता कि शव अपीलकर्ता के घर के आंगन से बरामद किया गया था जो कि एक बंद जगह है । किसी भी मामले में, शव की बरामदगी घटनास्थल से हुई थी जैसा कि अपीलकर्ता ने अपने ज्ञापन में खुलासा किया था । इसलिए, यह स्पष्ट रूप से अपीलकर्ता को कथित अपराध के साथ जोड़ता है । गवाहों की उपस्थिति में अपीलकर्ता से फावड़ा और कुल्हाड़ी भी जब्त की गई थी । जांच अधिकारी एम०डी० तिवारी (पी०डब्ल्यू–18) के साक्ष्य और जब्ती गवाह द्वारा समर्थित साक्ष्य भी फावड़ा और कुल्हाड़ी की जब्ती को साबित करते हैं और जब दफन स्थान से जब्त मिट्टी और कुल्हाड़ी से निकाली गई मिट्टी के नमूने को एफएसएल रिपोर्ट के लिए भेजा गया तो दोनों नमूने एक जैसे पाए गए ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपरोक्त साक्ष्य से संदेह से परे यह साबित होता है कि अपीलकर्ता और केवल अपीलकर्ता ने ही अपनी पत्नी की हत्या की है ।

12. जहां तक मौत की प्रकृति का सवाल है, पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर के साक्ष्य से यह साबित होता है कि सीमा उर्फ सुकवारो बाई की मृत्यु गला घोंटने से हुई है । इसीलिये जाहिर है, मौत की प्रकृति हत्या थी ।

13. अपीलकर्ता के विद्वान वकील की अन्य सभी दलीलों को खारिज करने के बाद, अंत में हमें अपीलकर्ता के विद्वान वकील की अंतिम दलील पर विचार करने की जरूरत है कि यह एक ऐसा मामला है, जिसमें दोषसिद्धि भा०दं०सं० की धारा 304 के दायरे से बाहर नहीं जाएगी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. अपीलकर्ता के ज्ञापन में, जिसे जांच अधिकारी एम०डी० तिवारी (पी०डब्ल्यू–18) ने अभियोजन पक्ष के गवाहों की मौजूदगी में दर्ज किया है, यह खुलासा किया गया है कि अपीलकर्ता अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह कर रहा था और 02/01/2006 को, लगभग 10.00 बजे, उसने अपनी पत्नी को गौतम नामक व्यक्ति के साथ संभोग करते हुए देखा, और यह देखकर, गौतम भाग गया और अपीलकर्ता ने पीड़ा और गुस्से में अपनी पत्नी की घटनास्थल पर ही गला घोंटकर हत्या कर दी ।

15. राजेश (पी०डब्ल्यू–1), अपीलकर्ता और मृतक का बेटा, जो अभियोजन पक्ष के स्टार गवाहों में से एक है, ने प्रतिपरीक्षण में यह कथन किया है

कि उसके पिता को उसकी मां के चरित्र पर संदेह था कि उसका गौतम नामक व्यक्ति के साथ कोई अवैध संबंध है, जो हर महीने एक बार उसकी मौसी के घर आता था । उसने बताया कि जब भी वह अपनी मौसी के घर आता था, तो उनके घर भी आता था और उसके पिता उसकी मां से झगड़ा किया करते थे । उसने आगे बताया कि गौतम की मौसी उनकी पड़ोसी थी और जब भी गौतम अपनी मौसी के घर जाता था, तो उनके घर भी आता था । इस गवाह ने आगे बताया कि उसके पिता गौतम के उसके घर आने पर कड़ी आपत्ति जताते थे और उसके पिता और मां के बीच गंभीर झगड़ा होता था । महत्वपूर्ण बात यह है कि इस गवाह ने बताया कि इस मुद्दे पर उसके पिता उसकी मां के साथ मारपीट करते थे ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. गौतम की मौसी सुमित्रा (पी०डब्ल्यू–14) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसका भतीजा गौतम हर साल 10–12 बार उसके घर आता था । हालांकि गौतम (पी०डब्ल्यू–5) ने ऐसे किसी भी रिश्ते से इंकार किया है, लेकिन जाहिर है कि वह किसी भी महिला के साथ अवैध संबंध के ऐसे आरोप में शामिल होने में दिलचस्पी नहीं रखता । हम पाते हैं कि यह बचाव पक्ष की एक विश्वसनीय कहानी है जिसका खुलासा अपीलकर्ता के प्रकटीकरण कथन में किया गया है कि उसकी पत्नी का गौतम (पी०डब्ल्यू–5) के साथ अवैध संबंध था, जो अपीलकर्ता के घर के बगल में रहने वाली उसकी मौसी के घर हर साल 10–12 बार आता था और जब भी वह अपनी मौसी के घर आता था, तो वह

अपीलकर्ता के घर भी आता था । इस बात के भी सबूत हैं कि अपीलकर्ता गौतम का उसके घर आना पसंद नहीं करता था और गौतम के साथ उसके संबंधों को लेकर अपीलकर्ता और उसकी पत्नी के बीच झगड़ा हुआ करता था और कई बार अपीलकर्ता अपनी पत्नी के साथ इसी मुद्दे पर मारपीट भी करता था । अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य की इस पृष्ठभूमि में, हम यह मानने के लिए इच्छुक हैं कि पूरी संभावना है कि अपीलकर्ता ने अपनी पत्नी की हत्या उन्हीं परिस्थितियों में की है, जो उसने अपने प्रकटीकरण कथन में बताई है, जिसमें उसने कहा है कि जब उसने अपनी पत्नी और गौतम को आपत्तिजनक स्थिति में देखा, तो पीड़ा के कारण उसने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. हालांकि सभी मामलों में ऐसा नहीं होता, लेकिन किसी मामले में पत्नी का व्यभिचारी व्यवहार या आचरण न केवल उकसावे के बराबर हो सकता है, बल्कि यह अचानक होने की आवश्यकता को भी पूरा कर सकता है । ऐसे मामले में धारा 300 का अपवाद लागू होगा और तब यह अचानक और गंभीर उकसावे का मामला होगा, जो धारा 302 भा०दं०सं० के तहत दंडनीय होगा, लेकिन धारा 304 भा०दं०सं० के तहत या तो भाग–I या भाग–II में इरादे या ज्ञान के सबूत के आधार पर दंडनीय होगा ।

गणेशन बनाम राज्य, 2007 सी.आर.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 10 (मैड) में, अभियुक्त ने मृतक और उसकी पत्नी के बीच अवैध अंतरंगता के

कारण अपने मन में लगातार उकसावे के कारण अपनी पत्नी के प्रेमी की मृत्यु का कारण बना । उस मामले में धारा 304–I भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया ।

उत्तम कुमार देवनाथ बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2003 सी.आर.एल.जे. 2725 के मामले में, धारा 304–I भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्धि उचित मानी गई, क्योंकि अभियुक्त को निष्ठा पर संदेह था और एक निश्चित दिन, अचानक आवेश में, उसने अपना आत्म–नियंत्रण खो दिया और अपनी पत्नी का गला घोंट दिया ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

रि गोविंदन, 1975 सी.आर.एल.जे. 114 में, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को अपने भाई के साथ एक ही बिस्तर पर लेटा हुआ पाया । यह माना गया कि यह अचानक और गंभीर उकसावे का मामला था और अभियुक्त धारा 304–I भा०दं०सं० के तहत दोषसिद्धि के लिए उत्तरदायी होगा, क्योंकि अचानक और गंभीर उकसावे का अपवाद साबित पाया गया ।

रामचंद्र पंगी बनाम उड़ीसा राज्य, 1984 सी.आर.एल.जे. (एन.ओ.सी.) 12 के मामले में, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया और उसे डंडे से पीट–पीटकर मार डाला । उसे गैर–इरादतन हत्या का दोषी ठहराया गया ।

इसी तरह, **सुक्का बनाम राज्य 1998, सी.आर.एल.जे. 3118 (एम.पी.)** के मामले में, अभियुक्त ने अपनी पत्नी को किसी अन्य व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाते हुए देखा, जिसके कारण उसने कुल्हाड़ी से पत्नी की हत्या कर दी। यह माना गया कि अभियुक्त के लिए गंभीर और अचानक प्रकोपन का अपवाद उपलबध था और धारा 302 भा०दं०सं० के तहत परिवर्तित कर धारा 304 भा०दं०सं० के तहत कर दिया गया । एक अन्य मामले, **सुख लाल बनाम राज्य, 1998 सी.आर.एल.जे. (एम.पी)** में, अभियुक्त ने अचानक और गंभीर प्रकोपन में अपनी पत्नी की हत्या कर दी, इसलिए धारा 304 भा०दं०सं० के तहत सजा बरकरार रखी गई ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

ये सभी मामले ऐसे हैं, जहां पत्नी की हत्या उसके व्यभिचारी कृत्य के कारण की गई थी, मानसिक पृष्ठभूमि में, यह पता लगाने के लिए पत्नी को ध्यान में रखा गया था कि क्या इस तरह के कृत्य ने गंभीर और अचानक प्रकोपन का कारण बना । ऐसे सभी मामलों में घातक प्रहार के साथ और खतरा स्पष्ट रूप से अचानक प्रकोपन और गंभीर प्रकृति से उत्पन्न जुनून से प्रभावित है ।

उकसावे और हमले के कारण मृत्यु होने के बीच काफी समय अंतराल और दूरी होने पर धारा 300 भा०दं०सं० का अपवाद 1 लागू नहीं हो सकता है । इस प्रकार, बचाव पक्ष की ओर से अभियुक्त को जो कि अपवाद 1 के तहत लागू कोई लाभ नहीं मिलेगा, जहां अभियुक्त को पत्नी के अनैतिक संबंध के

बारे में अच्छी तरह से पता है और जहां कोई सबूत या यहां तक कि कोई हल्का सा संकेत भी नहीं है कि उस असाधारण सुबह या रात को क्या हुआ था, जिसके कारण अभियुक्त गुस्से में आ गया और पत्नी पर हमला करना शुरू कर दिया होगा और **पंचू कुमार सरदार बनाम पश्चिम बंगाल राज्य, 1984 सी.आर.एल.जे. एन.ओ.सी 142 (कैल)** में दिए गए निर्णय के अनुसार अचानक और गंभीर प्रकोपन की दलील अभियुक्त पर लागू नहीं होगी ।

किसी भी मामले में प्रकोपन के तत्व अपवाद को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त नहीं है, किन्तु उसे अचानकता के साथ ऐसा जोड़ा जाना चाहिए जो प्रकरण के अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से पूरी तरह साबित होता है । फलतः वर्तमान मामला अचानक और गंभीर प्रकोपन का है ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. अंततः निष्कर्ष में, हमारा मानना है कि वर्तमान मामला ऐसा है, जिसमें धारा 300 भा०दं०सं० का प्रथम अपवाद स्पष्ट रूप से लागू होता है कि अपीलकर्ता ने अचानक और गंभीर उत्तजना के तहत अपनी पत्नी की हत्या कर दी। मामले के इस दृष्टिकोण से, अपीलकर्ता ककी दोषसिद्धि को धारा 304–। भा०दं०सं० के तहत परिवर्तित किया जाता है । अपीलकर्ता ने 14 साल से अधिक जेल की सजा काटी है । हमारी राय में, उसके द्वारा काटी गई अवधि उसके द्वारा किए गए आपराधिक कृत्य को देखते हुए पर्याप्त सजा है ।

19. परिणामस्वरूप, यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को धारा 304–। भा०दं०सं० के तहत बदल दिया जाता है और उसे पहले से ही भुगती गई अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। अपीलकर्ता को तत्काल रिहा किया जाए ।

Sd/–
(मनिन्द्र मोहन श्रीवास्तव)
न्यायाधीश

Sd/–
(विमला सिंह कपूर)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

दीप्ति

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**